



नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय

मेदिनीनगर, पलामू - 822101

अधिसूचना

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक - DHEsec-5/AFFIL GEN COL-22/2020/HTESD-986, दिनांक 16.09.2020 के आलोक में झारखण्ड विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 4(19) के तहत एवं अधिपद (Senate) के अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नलिखित महाविद्यालयों को द्विवर्षीय बी0एड0 पाठ्यक्रम में शैक्षणिक सत्र 2021-23 एवं 2022-24 के लिए वित्तीय भार रहित सशर्त अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण की स्वीकृति प्रदान की गयी है-

क्र0सं0	कॉलेज का नाम एवं पता	पाठ्यक्रम	सत्र
1.	ज्योति प्रकाश महिला बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
2.	इलिट पब्लिक बी0एड0 कॉलेज, चियांकी, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
3.	पंडित जगनारायण त्रिपाठी बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
4.	सिद्धनाथ बी0एड0 कॉलेज, सण्डा, जपला, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
5.	एस0बी0 पाण्डेय सनातन TTC, रेहला, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
6.	आर0के0वी0एस0 संस्थान, रगेनपुरवा, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
7.	ईन्दिरा सिंह बी0एड0 TTC, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
8.	दिनेश कॉलेज ऑफ एजुकेशन, फरठिया, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
9.	गोपीनाथ सिंह बी0एड0 कॉलेज, लातदाग, मेराल, गढ़वा	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
10.	कुमारेण्ड इन्टरनेशनल बी0एड0 कॉलेज, रजवाडीह, पलामू	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24
11.	जी0एल0ए0 बी0एड0 कॉलेज, डालटनगंज	बी0एड0 (अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	2021-23 एवं 2022-24

Principal in Charge
J. K. Tripathi B.ED College
Chand, Daltonganj, Palamu

24.9.2020

12.	किन्नी, चैनपुर, पलामू	(अस्थायी संबंधन दीर्घीकरण)	एवं 2022-24
-----	-----------------------	----------------------------	----------------

शर्तें -

1. विभाग द्वारा महाविद्यालयों का कभी भी औचक निरीक्षण किया जा सकेगा एवं किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने या एन0सी0टी0ई0/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप व्यवस्था नहीं पाये जाने पर संबंधिता समाप्त करने की नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी ।
2. महाविद्यालय द्वारा विश्वविद्यालय के निरीक्षण प्रतिवेदन में दिए गए सुझाव एवं शर्तों का अनुपालन समय सीमा के अन्दर किया जाएगा ।
3. महाविद्यालय पूर्व क्षेत्रीय समिति राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् भुवनेश्वर द्वारा लगाये गए शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
4. महाविद्यालय राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिनियम में वर्णित प्रावधान का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेगा ।
5. महाविद्यालय को दो वर्ष के अन्दर NAAC Accreditation कराना आवश्यक होगा ।

कुलपति के आदेशानुसार,

ह/-

कुलसचिव

नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर

Date - 29/09/2020

Memo No. - NPU/R/..606...../2020

प्रतिलिपि -

1. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, राँची ।
2. परीक्षा नियंत्रक, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
3. जन सूचना पदाधिकारी, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
4. नोडल पदाधिकारी, AISHE, नी0पी0 विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर ।
5. प्राचार्य/प्रभारी प्राचार्य, सभी संबंधित बी0एड0 महाविद्यालय ।
6. कुलपति/प्रतिकुलपति/कुलसचिव के निजी सहायक को संबंधित पदाधिकारी के सूचनार्थ प्रेषित ।

Anuprash

Anuprash
Principal in Charge
P. J. N. Tripathi B.ED College
Chand, Daltungaj, Palamu

Anuprash
29.9.2020
कुलसचिव
नीलाम्बर-पीताम्बर विश्वविद्यालय
मेदिनीनगर, पलामू
एनएम.के. सिंह
29/9/20